भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 184

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया)

कंपनियों का सुगमता से निकास

***184. श्रीमती कमलजीत सहरावतः**

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों की सुगमता से निकासी को सुकर बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 05.08.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *184 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के अंतर्गत स्वैच्छिक निकासी चाहने वाली कंपनियों के लिए एक सुगमता से निकासी प्रक्रिया सुनिश्चित करने और ईज-ऑफ-डूईंग-बिजनेस में सुधार करने के लिए, 2022-23 की बजट घोषणा में यह परिकल्पना की गई थी कि प्रोसेस रिइंजीनियरिंग के साथ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कारपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना की जाएगी, ताकि कंपनियों के स्वैच्छिक कारपोरेट निकास की समय-सीमा को 2 साल से घटाकर 6 माह से भी कम किया जा सके। यह 2016 में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना करने के अनुरूप था, जिसके तहत नई कंपनियों और एलएलपी का निगमन पैन-इंडिया आधार पर किया गया है, जिससे 2014-15 के दौरान 64,395 कंपनियों और 14,682 एलएलपी का निगमन किया गया, जो 2023-24 के दौरान बढ़कर 1,85,314 कंपनियों और 58,990 एलएलपी के निगमन तक पहुंच गया। वर्तमान में, ऐसी संस्थाओं के निगमन के लिए 1-3 दिन का औसत समय लिया जा रहा है।

तदनुसार, मंत्रालय ने 17 मार्च 2023 की अधिसूचना के माध्यम से सी-पेस की स्थापना की, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनियों के स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ के लिए आवेदनों को केंद्रीकृत रूप से संसाधित करने का पैन-इंडिया अधिकार क्षेत्र है, ताकि हितधारकों को सुगमता से फाइलिंग प्रदान करके रजिस्टर से उनकी कंपनी का नाम समय पर और प्रोसेस-बाउंड स्ट्राइकिंग ऑफ से उन्हें लाभान्वित किया जा सके। 01.05.2023 को सी-पेस के लागू होने से पहले, देश भर में विभिन्न कंपनी रजिस्ट्रारों के पास स्वैच्छिक रूप से नाम हटाने के लिए 10,000 से अधिक आवेदन लंबित थे। इसके चालू होने के बाद, 01.05.2023 से 22.07.2024 की अवधि के दौरान, 21372 कंपनियों का नाम हटा दिया गया है/उन्हें विघटित कर दिया गया है। वर्तमान में, आरओसी, सी-पेस के पास केवल 2000 से कम ऐसे आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लंबित हैं। ऐसे आवेदनों को संसाधित करने में लगने वाला औसत समय घटकर 90 दिन से कम हो गया है।
